भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2316
18.12.2023 को उत्तर के लिए

एशियाई शेर

2316. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई शेरों के पर्यावास क्षेत्रों में आग लगने/बाढ़ आने आदि की स्थिति में उन्हें बचाने के लिए सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार के समन्वय से क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार का ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए गुजरात राज्य सरकार के समन्वय से मॉक ड्रिल करने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) केन्द्र सरकार ने चक्रवात जैसी आकस्मिकताओं जिनके कारण अचानक बाढ़, जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, के प्रबंधन के लिए गुजरात राज्य सरकार को परामर्शिकाएं जारी की हैं। गिर संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजना में आग के प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ फील्ड कार्मिकों को आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए उपयुक्त अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। आग लगने की संभावना वाले मौसम के दौरान, अग्नि निगरानीकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कार्मिकों के द्वारा अग्नि निगरानी-टावरों और पहाड़ी चोटियों से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, शेरों के पर्यावास में आग लगने की घटनाओं को पहले से ही सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए उपग्रह-आधारित अग्नि-चेतावनियों का उपयोग किया जाता है।

बाढ़ और बाढ़ जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने हेतु, ऊंचाई वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है जहां एशियाई शेरों सहित प्रभावित जंगली जानवर शरण ले सकते हैं। फील्ड कार्मिकों द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने और बचाव कार्य करने के लिए, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में एशियाई शेरों सहित वन्यजीवों के आवागमन और स्थान की सतत रूप से निगरानी की जाती है।

(ख) गुजरात सरकार ऐसी घटनाओं से निपटने हेतु सभी आवश्यक उपाय करती है। गुजरात वन विभाग द्वारा नियमित रूप से मॉक ड्रिल सहित प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

*****